न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
59/2022	अपील	12.09.2022	29-3-23

भौरी लाल पुत्र स्वर्गीय किशनलाल उम्र 60 साल जाति जाटव निवासी रायपुर तहसील वजीरपुर।

–अपीलार्थी–

बनाम

तहसीलदार वजीरपुर।

–रेस्पोडेण्ट–

निर्णय दिनांक: 29-3-2023

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, वजीरपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 वाके ग्राम रायपुर के विरूद्ध पेश की गई है।
2. अपील के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी सन् 2017 में अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जयपुर (राज0) सवाई माधोपुर जिला अध्यक्ष थे उस दौरान ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर में जाटव समाज के लिये शमशान भूमि नही होने के कारण जनहीत में ग्राम पंचायत रायपुर एवं राज्य सरकार एवं प्रतिनिधि अधिकारियों को जाटव समाज के लिये दाह संस्कार हेतु भूमि आवंटन करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये गये। राज्य सरकार द्वारा जाटव समाज के हितार्थ अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं ग्राम पंचायत रायपुर की मांग पर उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ10(3)रेवन्यु6/2001/पीटी/06जयपुर दिनांक 27.01.2022 के अनुसरण में श्रीमान जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 23.02.2022 के द्वारा भूमि ख0नं0 279 रकबा 9.30 हेक्टर में से 0.50 हेक्टर भूमि के जाटव समाज के लिये शमशान भूमि हेतु आरक्षित की जाकर ग्राम पंचायत रायपुर के अधीन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
3. अपील के अनुसार उपरोक्त आदेश की अवहेलना करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 919/2022 दिनांक 08.06.2022 को तस्दीक किया जाकर विधि विरूद्ध तरीके से भूमि ख0नं0 1093/279 में से ख0नं0 1093/1096 गैर मुमकिन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

शमशान दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया है। तहसीलदार वजीरपुर का आदेश दिनांक 08.06.2022 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. अपील के अनुसार माननीय जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 12(6)(2)(246)भू0अ0/राजस्व/21/1338 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा भूमि जाटव समाज के शमशान के लिये ही आरक्षित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एवं पटवार हल्का रायपुर द्वारा नामान्करण संख्या 919 में उक्त भूमि को गैर मुमकिन शमशान दर्ज कर दिया जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि को जाटव समाज के लिये आरक्षित किया गया है। नामान्तकरण में गैर मुमकिन शमशान जाटव समाज रायपुर दर्ज होना चाहिए था परन्तु पटवार हल्का द्वारा एवं प्रत्यर्थी ने आदेशों की अवहेलना करते हुए जाटव समाज को उपेक्षित करने के आशय से गलत नामान्तकरण भरकर पेश किया है और बिना जांच किये प्रत्यर्थी द्वारा नामान्करण तस्दीक किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपील के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलार्थी या आम जाटव समाज को कोई सूचना नही दी गई और मनमर्जी से गैरमुमकिन शमशान अंकित किया है जो मुताविक आदेश दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 में गैरमुमकिन शमशान के आगे गै0मु0शमशान जाटव समाज रायपुर अंकित किया जाना न्यायोचित है

6. अपील के अनुसार नामान्तकरण संख्या 919 की जानकारी अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलार्थी को उक्त आदेश की कोई जानकारी नही रही है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 निरस्त किया जाकर गैरमुमकिन शमशान के स्थान पर गैरमुमकिन शमशान जाटव समाज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मूल नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 वाके ग्राम रायपुर तलब किया गया। अपीलार्थी की ओर से यह अपील विद्वान अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा, ने पेश की जबकि रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि तहसीलदार वजीरपुर द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश क्रमांक 12(6)(2)(246)भू0अ0/राजस्व/21/1338 दिनांक 23.02.2022 की आवहेलना करते हुए उक्त नामान्तकरण गलत तस्दीक किया गया है जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के उक्त आदेश में शर्ते एवं निबन्धन के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट लिखा है कि आरक्षित भूमि एवं अधीन भूमि का उपयोग सर्व समाज (जाटव समाज) शमशान के लिये ही किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत रायपुर के कार्यवाही विवरण रजिस्टर में जाटव समाज रायपुर के लिये शमशान का प्रस्ताव लिया गया है। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा उक्त नामान्करण गलत रूप से तस्दीक किया गया है। अतः आलोच्य नामान्तकरण को निरस्त फरमाते हुए पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश फरमाने का श्रम करे।

9. हमने अपील एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

10.प्रार्थना पत्र तहत् धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 का भी समग्र अवलोकन किया। श्रीमान् जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आवंटन आदेश क्रमांक 12(6)(2)(246)भू0अ0 / राजस्व / 21 / 1338 दिनांक 23.02.2022 का अवलोकन किया गया उक्त आदेश में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा "ग्राम रायपुर के ख0नं0 279 रकबा 9.30 हेक्टर में से रकबा 0.50 हेक्टर किस्म चारागाह भूमि को राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत हेतु शमशान हेतु भूमि आरक्षित की जाकर उक्त धारा 102अ के तहत ग्राम पंचायत रायपुर के अधीन की जाती है।" तथा उक्त आदेश के शर्ते व निबंधन के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट अंकित है कि आरक्षित भूमि एवं अधीन भूमि का उपयोग सर्व समाज (जाटव समाज) शमशान के लिये ही किया जा सकेगा। उपरोक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 वाके ग्राम रायपुर सही रूप से तस्दीक किया है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती। नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 08.06.2022 वाके ग्राम रायपुर को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29-3-2023 को सरे इजलास सुनाया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)